International Journal of Research and Review Techniques (IJRRT), ISSN: 3006-1075
Volume 2, Issue 2, April-June, 2023, Available online at: https://ijrrt.com

विद्यालय की प्रगति, उपलब्धियों और चुनौतियों में प्रबंधन की भूमिका का अध्ययन

कुमारी ममतेश सोलंकी[1], डॉ. महीप कुमार मिश्रा[2]

[1]रिसर्च स्कॉलर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़
[2]प्रोफेसर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़

सारांश

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कानूनी आधार है। यह अधिनियम न केवल शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करता है। इस संदर्भ में, स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। SMC का गठन स्कूल के संचालन और विकास में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसका मुख्य कार्य स्कूल के शैक्षिक और प्रशासनिक पहलुओं की निगरानी करना है। SMC के माध्यम से माता-पिता, शिक्षकों और स्थानीय निकायों को शिक्षा प्रणाली में सीधे शामिल किया जाता है। यह समिति न केवल संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करती है, बल्कि यह स्कूल की पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है।

मुख्य शब्द: शिक्षा, माता-पिता, पारदर्शिता, समुदाय, निकायों

परिचय

विकासशील और विकसित देशों के लिए मानवता को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक बनी हुई है। शिक्षा एक मौलिक मूल्य है जिसके द्वारा मनुष्य समाज के साथ जुड़ता है और बातचीत करता है और जिसके माध्यम से मानव बुद्धि विकसित होती है। अपने व्यापक अर्थ में, यह एक प्रकार की शिक्षा है जिसमें लोगों के समूह के ज्ञान, कौशल और आदतों को शिक्षण, प्रशिक्षण या शोध के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया जाता है, और यह उन्हें अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने में सक्षम बनाता है। कोई भी अनुभव जो किसी व्यक्ति के सोचने के तरीके पर रचनात्मक प्रभाव डालता है, उसे शैक्षिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

शिक्षा को मोटे तौर पर "सभी क्रियाकलापों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक मानव समूह अपने वंशजों को ज्ञान और क्षमताओं का एक समूह, साथ ही एक नैतिक संहिता देता है जो उस समुदाय को अस्तित्व में रहने में सक्षम बनाता है।" एमिल दुर्खीम, जिन्हें व्यापक रूप से समकालीन सामाजिक विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, ने शिक्षा को "पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्रवाई" के रूप में परिभाषित किया, जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं हैं। इसका लक्ष्य "शिशु में उन शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक अवस्थाओं को जागृत और विकसित करना है, जो उसके/उसके समाज द्वारा समग्र रूप से और साथ ही उस परिवेश द्वारा अपेक्षित हैं, जिसके लिए वह विशेष रूप से नियत है।"

किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा का महत्व कम नहीं किया जा सकता। यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि शिक्षा लोगों के जीवन को बेहतर बनाती है। यह मानव सभ्यता की उन्नति में एक निरंतर कारक है। हालाँकि शिक्षा का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन औसत शिक्षा सभी जगह एक जैसी नहीं होती। परिणामस्वरूप, समस्याओं को हल करने के लिए रणनीतियाँ विकसित की जा रही हैं। शिक्षा के बिना जीवन कष्टदायक और नुकसानदेह होगा।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के महाधिवेशन ने "शिक्षा" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है कि "इसका तात्पर्य सामाजिक जीवन की वह सम्पूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति और सामाजिक समूह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के हित में अपनी सम्पूर्ण क्षमताओं, दृष्टिकोणों, योग्यताओं और ज्ञान को सचेत रूप से विकसित करना सीखते हैं।" दूसरी ओर, शिक्षा को संकीर्ण रूप से "राष्ट्रीय, प्रांतीय या स्थानीय शिक्षा प्रणाली, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, के अंतर्गत दिया जाने वाला औपचारिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डॉ. ए.के. लक्ष्मणन ने अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सही टिप्पणी की थी कि:

"शिक्षा शायद राज्य और स्थानीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यह हमारी सबसे बुनियादी जिम्मेदारियों के निष्पादन में आवश्यक है, यहां तक कि सशस्त्र बलों में सेवा में भी। यह अच्छी नागरिकता का आधार है। आज, यह बच्चे को सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने, उसे बाद में पेशेवर प्रशिक्षण के लिए तैयार करने और सामान्य रूप से उसके वातावरण के साथ समायोजन करने का मुख्य साधन है। इन दिनों, यह संदिग्ध है, और एक बच्चे से जीवन में सफल होने की उम्मीद की जा सकती है यदि उसे शिक्षा के अवसर से वंचित किया जाता है।

भारत के चुनाव आयोग बनाम संत मेरी स्कूल और अन्य के मामले में, न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा ने शिक्षा के अंतर्निहित महत्व के बारे में इसी तरह की टिप्पणियां कीं। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, न्यायालय ने सही ढंग से टिप्पणी की कि भारत को उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण निवेश की कमी के कारण अतीत में नुकसान उठाना पड़ा है। यह आंशिक रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को या तो/या के रूप में देखने वाली सोच के कारण है। परिणामस्वरूप, शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से सुधारने के लिए राष्ट्र को मजबूत करने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता है।

रामास्वामी और न्यायमूर्ति सागर अहमद के अनुसार, निरक्षरता के कानून के शासन द्वारा नियंत्रित लोकतंत्र में कई नकारात्मक प्रभाव हैं। एक शिक्षित नागरिक अपने राजनीतिक अधिकारों का सार्थक उपयोग कर सकता है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है और सहिष्णुता और सुधार की भावना विकसित कर सकता है।

साहित्य की समीक्षा

बी.वी., शर्मा और श्रीनिवासु (2014) शिक्षा के अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन, कार्यान्वयन के मुद्दों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, 25-26 फरवरी 2014 के दौरान आयोजित किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर के हितधारकों द्वारा किए गए शोध के माध्यम से आरटीई अधिनियम और इसके कार्यान्वयन की बारीकी से जांच करना था। बाल लाभार्थियों के अलग-अलग समूह तक पहुंचने और प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के संदर्भ में आरटीई को देखते हुए, इसके नीति ढांचे और कार्यान्वयन पर शोध करने वाले विद्वानों ने अपने पेपर प्रस्तुत किए। विद्वान विश्वविद्यालय के संकाय और आरटीई के कार्यान्वयन में शामिल गैर सरकारी संगठनों दोनों से थे। चर्चाएँ

सर्वोत्तम प्रथाओं, कार्यान्वयन में चुनौतियों और ढांचे में दिए गए विभिन्न उपायों की प्रभावशीलता की समीक्षा के इर्द-गिर्द घूमती रहीं।

विश्वनाथ, ममता. (2014). यह शोधपत्र भारतीय शिक्षा नीतियों पर नज़र डालता है और मानवाधिकार दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालाँकि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 1 अप्रैल, 2010 से शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, लेकिन अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ज़रूरतें पूरी हुई हैं या नहीं, यह अभी देखा जाना बाकी है। दूसरे, शोधपत्र भारत में शिक्षा के अधिकार की वर्तमान स्थिति का संक्षेप में विश्लेषण करेगा ताकि नीति स्तर पर कमियों को समझा जा सके और जिम्मेदार कारकों की पहचान की जा सके। तीसरे, शोधपत्र उन तरीकों पर प्रकाश डालेगा जिनसे कार्यान्वयन स्तर पर अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। विभिन्न देशों से प्रेरणा ली जा सकती है जिन्होंने अपने नागरिकों को शिक्षा का अधिकार दिया है और जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के करीब हैं। शिक्षा का अधिकार पूरी तरह तभी साकार हो सकता है जब इसे शिक्षा के लिए एक ठोस अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए।

रिस्तोवस्का, मिरजाना। (2021)। शिक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार है जो तथाकथित दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों से संबंधित है। आज, शिक्षा का अधिकार कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनी कृत्यों द्वारा संरक्षित है। सिद्धांत रूप में, शिक्षा का अधिकार राज्य के सकारात्मक दायित्व को दर्शाता है। इसका मतलब है कि राज्य का दायित्व है कि वह अपने संसाधनों और क्षमताओं के आधार पर शिक्षा के अधिकार का सम्मान करे, उसे बढ़ावा दे और उसे पूरा करे। इस संबंध में, शिक्षा का अधिकार राज्यों में एक सार्वजनिक सेवा या सार्वजनिक वस्तु के रूप में भी योग्य है।

शोध उद्देश्य

1. 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच का मूल्यांकन।
2. विद्यालय की प्रगति, उपलब्धियों और चुनौतियों में प्रबंधन की भूमिका का अध्ययन करना।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस अध्ययन में प्रयुक्त अनुभवजन्य जांच के लिए शोध डिजाइन का विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें प्रयुक्त शोध दृष्टिकोण और प्रयुक्त डेटा संग्रह और डेटा विश्लेषण विधियों का विस्तृत विवरण शामिल है।

समस्या का अध्ययन करने के लिए एक वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया था। इस जनसंख्या में से केवल 50% स्कूलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था, इन चयनित स्कूलों में से छह स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। एसएमसी सदस्यों द्वारा वास्तव में निभाई जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एसएमसी सदस्यों के लिए प्रश्नावली विकसित की गई थी। इस उपकरण में आरटीई अधिनियम के अनुसार किए जाने वाले विभिन्न कार्यों पर 24 आइटम शामिल थे। इसकी सामग्री की वैधता की जांच करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा उपकरण को मान्य किया गया था। प्रश्नावली के प्रशासन से पहले सभी चयनित एसएमसी सदस्यों को अध्ययन के उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में बताया गया था। डेटा का प्रतिशत का उपयोग करके मात्रात्मक रूप से विश्लेषण किया गया था। प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को आवृत्तियों में परिवर्तित किया गया और फिर प्रतिशत में उनका रूपांतरण किया गया।

वर्तमान अध्ययन में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले को प्रशासनिक इकाई के रूप में चुना गया है। हापुड़ जिले के चार विकास खंडों के विभिन्न वर्गों से 450 उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा। एक अनुसूची के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम और विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका के बारे में इन उत्तरदाताओं के विचार, राय और

विचारों को जानने का प्रयास किया जाएगा। अनुसूची के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को वर्गीकृत और सारणीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद उनका विश्लेषण किया जाएगा और निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए इन आंकड़ों का गहन विश्लेषण करके सहसंबंध परीक्षण किया जाएगा।

अनुभवजन्य जांच की व्याख्या

अध्ययन में लिंग के आधार पर जिले में प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का सामान्य वितरण दर्शाया गया है। जिले में उनका लिंग वितरण तालिका 5.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.1 प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का लिंग वितरण

लिंग	मुख्य शिक्षक		अध्यापक		विद्यार्थियों	
	आवृत्ति	%	आवृत्ति	%	आवृत्ति	%
पुरुष	12	48	70	41	175	51
महिला	13	52	100	59	171	49
कुल	**25**	**100**	**170**	**100**	**346**	**100**

लिंग के संदर्भ में, तालिका 5.1 के परिणामों से पता चला कि 48% प्रधानाध्यापक पुरुष थे जबकि 52% महिलाएँ थीं। इसका मतलब यह है कि जिले के प्राथमिक विद्यालयों में महिला प्रधानाध्यापकों की संख्या पुरुष प्रधानाध्यापकों से अधिक थी क्योंकि आम तौर पर शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की संख्या पुरुष प्रधानाध्यापकों से अधिक होती है। परिणामों से पता चला कि पुरुष शिक्षक 41% थे जबकि महिला शिक्षक 59% थीं। यह एक संकेतक था कि महिला शिक्षकों ने जिले में शिक्षण बल पर प्रभुत्व किया। यह शहरी क्षेत्रों में स्टाफिंग का एक सच्चा प्रतिबिंब है जहाँ महिला शिक्षकों का प्रभुत्व है (MOEST, 2005)। परिणाम दर्शाते हैं कि 51% छात्र पुरुष थे और 49% महिलाएँ थीं और यह एक सच्चा संकेत है कि शिक्षार्थियों के बीच लिंग लगभग बराबर है।

आयु के अनुसार प्रधानाध्यापकों का वितरण

आम तौर पर, स्कूलों में अनुभवी शिक्षकों के समूह में से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानाध्यापकों से उनकी आयु बताने के लिए कहा गया और तालिका 5.2 में जिले में प्रधानाध्यापकों के आयु वितरण को दर्शाया गया है।

तालिका 5.2 आयु के अनुसार प्रधानाध्यापकों का वितरण

उम्र साल)	आवृत्ति	को प्रतिशत
25-30	0	0
31-40	6	24
41-50	14	56
50 से ऊपर	5	20
कुल	**25**	**100**

तालिका 5.2 में दी गई जानकारी से पता चलता है कि जिले में 56% प्रधानाध्यापकों में से अधिकांश मध्यम आयु वर्ग (41-50) के थे। यह वह उम्र है जब प्रधानाध्यापकों ने निर्देश पर्यवेक्षण में बहुत सारे कौशल हासिल कर लिए हैं और वे जिले में युवा विद्यार्थियों को पेशेवर मार्गदर्शन और समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन की पेशकश करने में सक्षम हो सकते हैं (रॉबिन्सन, 2008)।

आयु के अनुसार शिक्षकों का वितरण

शिक्षकों से उनकी आयु बताने को कहा गया जैसा कि तालिका 5.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3 आयु के अनुसार शिक्षकों का वितरण

उम्र साल)	आवृत्ति	को प्रतिशत
25-30	20	11.8
31-40	55	32.4
41-50	50	29.4
50 से ऊपर	45	26.5
कुल	**170**	**100**

तालिका 5.3 के परिणामों से यह स्पष्ट है कि 32.4% शिक्षक अपेक्षाकृत युवा (31-40) वर्ष के थे। स्कूलों में विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में मदद करने के लिए शिक्षकों को उचित प्रेरणा के माध्यम से स्कूल में आत्मविश्वास विकसित करने की आवश्यकता है (यूनेस्को, 2004)।

आयु के अनुसार विद्यार्थियों का वितरण

विद्यार्थियों से उनकी आयु बताने को कहा गया तथा उनके द्वारा दिए गए परिणाम तालिका 5.4 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 5.4 आयु के अनुसार विद्यार्थियों का वितरण

प्रतिक्रिया (वर्ष में)	आवृत्ति	%
6-10	63	14
11-12	95	21
13-14	117	26
15-16	99	22
17 से ऊपर	76	17
कुल	**450**	**100**

परिणाम दर्शाते हैं कि स्कूलों में विद्यार्थियों की आयु 6 से 17 वर्ष की आयु के बीच वितरित की गई थी। भारत में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की आयु छह वर्ष है जबकि कक्षा आठ में बाहर निकलने की आयु 13 या 14 वर्ष है (MOEST, 2005)। हालाँकि, भारत में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के कारण, प्राथमिक विद्यालय पूरा करने की आयु से अधिक के विद्यार्थी अभी भी स्कूलों में पाए जाते हैं, यही कारण है कि 15 से 17 वर्ष की आयु के विद्यार्थी अधिक आयु के हैं।

प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता ने उनके पद पर नियुक्त किए जाने वाले प्रधानाध्यापकों की योग्यता पर औचित्य प्रदान किया। शिक्षकों ने भारत में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए आवश्यक योग्यता को उचित ठहराने के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यताएँ भी बताईं। प्रधानाध्यापकों और शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता दोनों के उत्तर तालिका 5.5 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.5 प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता

योग्यता	मुख्य शिक्षक	%	अध्यापक	%
एम/ईडी	6	24	70	41.2
बिस्तर	14	56	22	12.9
डिप्लोमा	5	20	45	26.5
पी1	0	0	33	19.4
कुल	**25**	**100**	**170**	**100**

परिणामों से पता चला है कि जिले में अधिकांश प्रधानाध्यापक (56%) बीएड डिग्री धारक थे, जो कि अनुदेशन पर्यवेक्षण और समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन में प्रधानाध्यापक से अपेक्षित भूमिका निभाने के लिए एक अतिरिक्त योग्यता है। अन्य 24% प्रधानाध्यापकों के पास मास्टर डिग्री थी, जिसने उन्हें शिक्षा में अपने विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुमूल्य ज्ञान से लैस किया। निष्कर्षों से यह भी पता चला कि अधिकांश (41.2%) शिक्षकों के पास पी1 योग्यता थी जो भारत में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए आदर्श योग्यता है। अन्य 19.4% शिक्षकों के पास मास्टर डिग्री थी, जिसने उन्हें विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए ज्ञान का असंख्य खजाना दिया।

निष्कर्ष

स्कूल प्रबंधन टीम पर राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों से आने वाली सामाजिक मांगों के कारण पाठ्यक्रम परिवर्तन के कार्यान्वयन का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है। इसमें सफल होने के लिए, स्कूल प्रबंधन टीमों को पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम परिवर्तन को लागू करने के लिए उन्हें कौन सी प्रमुख भूमिकाएँ निभानी होंगी। अनुभवजन्य जांच से यह स्पष्ट हो गया कि स्कूल प्रबंधन टीम के प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रबंधन से संबंधित उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में पर्याप्त जानकारी है। सफल पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रबंधन के प्रमुख बाधा प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् अपर्याप्त कक्षाएँ और शिक्षण सुविधाएँ और

कर्मचारियों के निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता, स्कूल प्रबंधन टीमों को पाठ्यक्रम परिवर्तन के कार्यान्वयन के जिम्मेदार और जवाबदेह सुविधाकर्ताओं के रूप में, लगातार समस्याओं के क्रमिक सक्रिय समाधान के लिए संवेदनशील होना चाहिए। यह पाठ्यक्रम परिवर्तन के कार्यान्वयन के प्रबंधन के साथ प्रासंगिक सफलता की धीमी लेकिन स्थिर वृद्धि में योगदान दे सकता है।

संदर्भ

[1]. अर्डी, गुसन और रियादी, आरएम और पाइड्स, हेंड्री। (2021)। जवाबदेही और पारदर्शिता पर आधारित स्कूल वित्तीय प्रबंधन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन। 13. 538-550. 10.9756/INT-JECSE/V13I2.211091.

[2]. जे., टिका और सानी, इमैनुएल और इबांगा, इसहाक। (2024)। नाइजीरिया के योबे राज्य में जूनियर सेकेंडरी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास पर स्कूल-आधारित प्रबंधन समितियों के प्रभाव का मूल्यांकन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, मैनेजमेंट, एंड टेक्नोलॉजी। 2. 81-94. 10.58578/ijemt.v2i2.3347.

[3]. दमका, ओनेस्मो और एफ्राहेम, गुडलक और भोके-अफ्रीकनस, एग्नेस। (2021)। माध्यमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान में स्कूल प्रमुखों के वित्तीय प्रबंधन कौशल की प्रभावशीलता। जर्नल ऑफ एजुकेशन, सोसाइटी एंड बिहेवियरल साइंस। 20-28। 10.9734/jesbs/2021/v34i230302।

[4]. टिमोथी केलेची, नवांगुमा और जेम्स नुके, थैंकगॉड। (2024)। रिवर स्टेट में पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के बेहतर प्रशासन के लिए स्कूल आधारित प्रबंधन समिति।

[5]. शर्मा, आब्रीति. (2021). सिक्किम में स्कूल प्रबंधन समितियाँ: सरकारी अधिकारियों की धारणा पर एक अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ हेल्थ साइंसेज. 495-503. 10.53730/ijhs. v5nS1.10614.

[6]. नामगेम्बे, हबीबा और मायांजा, क्रिस्टोफर और किंसाम्बे, राशिद। (2022)। युगांडा के बुगिसु मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सरकारी सहायता प्राप्त मुस्लिम-स्थापित प्राथमिक विद्यालयों के स्कूल प्रबंधन समिति निगरानी सिद्धांत और प्रदर्शन। ईस्ट अफ्रीकन जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज। 5. 234-243. 10.37284/eajass.5.1.729।

[7]. यान्तो, मुर्नी। (2021)। पब्लिक एलीमेंट्री स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन पर स्कूल समिति की भूमिका। निधोमुल हक: जर्नल प्रबंधन पेंडिडिकन इस्लाम। 6. 672-682. 10.31538/एनडीएच.वी6आई3.1784.

[8]. एंडोह-रॉबर्टसन, थियोफिलस और एफ़ाह, सैमुअल और एशुन, थॉमस और क्वासी, मिस. (2020)। घाना के तारकवा-नसुआम नगर पालिका में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की प्राप्ति की दिशा में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के प्रदर्शन का मूल्यांकन। जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ रिसर्च। वॉल्यूम.10,. 18-26. 10.7176/RHSS/10-16-03.

[9]. आचार्य, बिस्ना और सिगडेल, सूर्या। (2024)। स्कूल प्रबंधन निर्णय प्रथाओं का आकलन: नीति प्रावधानों से अंतर्दृष्टि। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अथर्व। 2. 11-18. 10.3126/ija.v2i1.62820।

[10]. नाज़, लुबना और नईम-उज़-ज़फ़र, और सईद, नोमान। (2020)। शिक्षा की गुणवत्ता पर स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) का मूल्यांकन: सिंध का एक मामला नईम-उज़-ज़फ़र नोमान सईद। पाकिस्तान जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च। 3. 10.52337/pjer.v3i2.469।

[11]. द्विवेदी, रितेश और नैथानी, अरुणिमा। (2015)। भारत में प्राथमिक शिक्षा: स्कूल प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारियाँ (शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत)। प्रबंधन अंतर्दृष्टि। XI.

[12]. उप्रेती, अशोक. (2024). उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में आरटीई की प्रभावशीलता. काव इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस ए रेफरीड पीयर रिव्यू क्वार्टरली जर्नल. III. 295-298.

[13]. सरत कुमार राउत (2018), "स्कूल प्रबंधन समितियां और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009," इम्पैक्ट: मानविकी, कला और साहित्य में अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (इम्पैक्ट: IJRHAL) आईएसएसएन (पी): 2347-4564; आईएसएसएन (ई): 2321-8878 खंड 6, अंक 5, मई 2018, 67-74 © इम्पैक्ट जर्नल्स

[14]. शर्मा, भावना. (2021). शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के 10 वर्ष: हरियाणा में उपलब्धियां और अंतराल।